I/ अपील/टीकमगढ़/भू-रा/2017/1558

117

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0 क0 अपील —एक / 17

श्रीमती रजनी अभिभाषक शर्मा रा. जाट

द्वारा आज दि. 31/5/17 को

प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 31-5-17

R.V.S. 31/5/17

1—राजेश, रूपसिंह तनय दयाली यादव

2—दयाली तनय प्यारेलाल यादव

निवासी— मड़खेरा तहसील मोहनगढ़

जिला टीकमगढ़ म0प्र0

——अपीलार्थीगंण

विरूद्व

सरमन पाल तनय परमुआ पाल

निवासी— खैरा, तहसील मोहनगढ़,

जिला टीकमगढ़ म0प्र0

— प्रत्यर्थी

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 44(2) म0प्र0 भू—राजस्व संहिता—1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 10.04.2017 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील जतारा व जिला टीकमगढ़, प्र0क0 27 / अपील / 2016—17 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

अपीलार्थीगंण की ओर से यह अपील निम्न प्रकार प्रस्तुत है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/अपील/टीकमगढ/भू.रा./2017/1558 राजेश विरूद्ध सरमन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019 7.1.19	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जतारा के प्रकरण क्रमांक 27/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 10-04-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 31-05-2017 को अपील याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की	

	सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) सदस्य	